न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/40/2019	01–10–2019	08–02–2021

01–संजय पुत्र औमलता पिता ईश्वरदत्त जाति ब्राहमण निवासी कवांली तहसील रेवाडी जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा। अपीलान्ट

बनाम

1–देवेन्द्र पुत्र मूलिया जाति ब्राहमण
2–रामनिवास पुत्र मूलिया जाति ब्राहमण
3–महेन्द्र कुमार पुत्र मूलिया जाति ब्राहमण निवासीयान वार्ड नम्बर 9 पुराना जैन मंदिर के पास तिजारा तहसील तिजारा अलवर। असल रेस्पोडेन्ट
4–श्रीमती सीमा शर्मा पुत्री श्री ईश्वरदत्त जाति ब्राहमण निवासी हाल बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर। तर0रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 05.02.1984 नामान्तकरण संख्या 845 ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।

उपस्थित :–
01. श्री मूल चन्द चौधरी –वकील अपीलाण्ट
02. श्री रामेश्वर दयाल – वकील रेस्पा0सं0 1 ला0 3
03. राज बहादुर – वकील रैस्पा0 सं0 4

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 05–02–1984 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 845 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट जरिये अपीलान्ट मृतक माता श्रीमती औमलता पुत्री मूलिया बिना सूचना अपीलीय निर्णय पारित किया है और ना ही मृतक मूलिया के वारिसान की जांच की गई है। अपीलान्ट की माता मृतक औमलता पुत्री मूलिया वर्ष 1984 में जिन्दा थी कि जिसका स्वर्गवास अपने पिता के स्वर्गवास के काफी समय बाद दिनांक 28.04.2009 को हुआ है। तहत अदालत ने बगैर वारिसान की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मूलिया की मृत्यु के समय उसके पांच वारिस जिन्दा मौजूद थे जिनमें मूलिया की बेवा श्रीमती चमेली व तीन पुत्र एक पुत्री थें। रैस्पा0 ने मूलिया की विरासत इंतकाल अपने व मृतक चमेली बेवा के नाम बमिल्लत खुलवा लिया और बाला–बाला अपीलान्ट की मृतक माता का हक व अधिकार समाप्त करने की नियत व गर्ज से

जिला कलक्टर, अलवर

अपीलान्ट की माता का नाम दर्ज नहीं कराया। अपीलान्ट का हम बराबर यानि 1/5–1/5 था और कानूनन अपीलान्ट की माता का नाम दर्ज होना चाहिए था। चमेली बेवा मूलिया का स्वर्गवास सन् 2014 में हो गया और उसकी विरासत का इंतकाल भी रैस्पा0 असल ने अपने हक में खुलवाने की जुस्तजू में लगे हुऐं है जिस पर पटवारी हल्का ने साफ इंकान कर दिया कि मृतक की एक लडकी औमलता और है उसका पहले के इंतकाल में नाम दर्ज नहीं हुआ है और अब मेरी जानकारी में आ गया है। मृतक मूलिया की विरासत का इंतकाल दर्ज व स्वीकार करते समय कोई नोटिस नही दिया और ना ही वारिसान की जांच की है। अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास दिनांक 28.04.2009 को हो गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट को करना लाजिम आया है। पक्षकारान मृतक मूलिया के विरासत के हिस्से पर हक व अधिकार है। अपीलान्ट की माताजी का स्वर्गवास हो गया है जिस कारण अपीलान्ट को अपीलीय आदेश के विरूद्व अपील पेश किया जाना आवश्यक है जिसकी इजाजत हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया जा रहा है जो स्वीकार किया जावें। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27–02–2018 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो जानकारी हुई और दिनांक 06–03–2018 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि और दिनांक 06–03–2018 को प्रमाणित प्रति के माध्यम से हुई जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

अपीलान्ट कें अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :–

आर0आर0टी0 2018 पार्ट प्रथम पेंज 186, आर0आर0डी0 2008, आर.बी.जे. 761, आर0आर0डी0 1998, R.HIGH 319, TECHNICAL GRUND पर अपील खारिज नहीं करनी चाहिये, आर0आर0डी0 2012 पेंज 420, 422 अपील कभी भी की जा सकती है।

रेस्पाडेन्ट अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट का यह कथन की उनकी माता औमलता को इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व कोई सूचना नही दी अपीलीय आदेश दिनांक 15.2.84 की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 27.2.18 को जरिये पटवारी हल्का से हुई जो गलत है। अपीलीय इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट की माता को पूर्व से ही थी। अपीलान्ट ने लम्बे समय बाद अपील दायर की जो अपील मयाद बाहर है। अपीलान्ट ने मृतक मूलिया की विरासत के इन्तकाल की बाबत अपील दायर की अपीलान्ट की माता श्रीमती औमलता ने अपने जीवन काल में विवादित इंतकाल की बाबत कोई कार्यवाही नहीं की तथा उसके मरने के करीब 9 से 10 वर्ष बाद अपीलान्ट ने यह अपील गलत दायर की । अपीलान्ट ने यह अपील मयाद बाहर पेश की जिस स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिकार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 अपीलान्ट ने मृतक मूलिया की विरासत के इंतकाल की बाबत अपील दायर की है अपीलान्ट की माता श्रीमती औमलता ने अपने जीवन काल में उक्त इंतकाल की बाबत कोई कार्यवाही नही की

जिला कलक्टर, अलवर

उसके मरने के करीब 9 से 10 वर्ष बाद दायर की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मृतक मूलिया की विरासत के आधार पर दर्ज इंतकाल को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिकार व धारा 96 जा0दी0 खारिज किये जाने योग्य है।

रैस्पाडेन्ट के अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :–

आर0आर0टी0 2017 पार्ट प्रथम पेंज 252, के आधार पर डिले का लाभ नहीं दिया जा सकता, आर0आर0टी0 2017 पार्ट प्रथम पेंज 117, पेंश किये गयें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 पर विचार किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 05–02–1984 के विरूद्ध दिनांक 20..03.18 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 34 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न हैं पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। विवादित इंतकाल दिनांक 05.02.84 को मृतक मूलिया के विरासत का दर्ज व स्वीकार किया गया था। अपीलान्ट को विरासत के द्वारा दर्ज करने की जानकारी दिनांक 27.02.2018 होना दर्शाया है। अपीलान्ट की माता मृतक औमलता पुत्री मूलिया का देहान्त दिनांक 28.04.2009 को हुआ है, जो करीब 25 वर्ष बाद हुआ था।

रेस्पौ0 की हम इस दलील से सहमत है कि विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताना चाहिए, परन्तु अपीलान्ट ने विलम्ब का ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया जिस पर विश्वास किया जा सके। बिना वैधानिक कारण के अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। यदि हम मूल अपील का भी अवलोकन करें तो भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है कि अपीलान्ट की माता का देहान्त दिनांक 28.04.2009 को हो गया जबकि विवादित इंतकाल दिनांक 05.02.1984 में ही विरासत का खोला जा चुका है। चमेली बेवा मूलिया का स्वर्गवास सन् 2014 में हो गया और उसकी विरासत का इंतकाल खुलवाने की जुस्तजू में लगे हुए है, अपीलान्ट जानकारी में आया है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट की माता को मृतक मूलिया के विरासत इंतकाल की जानकारी ना हों। मृतक मूलिया का विरासत का इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट की माता को थी और चमेली बेवा मूलिया का स्वर्गवास सन् 2014 हो गया। अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 27–02–2018 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो जानकारी होना दर्शाया है। अपीलान्ट को मृतक चेमली

जिला कलक्टर, अलवर

बेवा मूलिया की जानकारी भी 4 वर्ष बाद होना बताया है। जबकि विवादित इंतकाल का पूर्व में ही तहत अदालत द्वारा दर्ज व स्वीकार हो चुका है। इसलिए अपीलान्ट का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 05–02–1984 जिनके द्वारा इन्तकाल सं0 845 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर यथावत रखे जाते है। इस न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 23.03.2018 निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दमल महाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर